FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0002 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/01/2024 18:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:10 बजे **Time To (समय तक):** 17:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/01/2024 **Time (समय):** 17:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/01/2024 18:12:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** pahada

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): PAHADA **District(State) (जिला (राज्य)):** UDAIPUR(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Sanjay Kumar Vadera

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Babulal Vadera

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Aamaliya, PHALASIYA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Aamaliya, PHALASIYA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7976013047

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Kamal Singh Kitawat		अभिभावक:Lal Singh	1. Peeplada,Sadar Dungarpur,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि	10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय

निवेदन है कि श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, भनि. ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर ने दिनांक 01.01.2024 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह, भ्रनि. ब्यूरो उदयपुर को जरिये दूरभाश वार्ता कर कि परिवादी श्री संजय कुमार के मोबाईल नम्बर 79760-13047 देते हुए परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री संजय कुमार से उसके मोबाईल नम्बर 7976013047 पर सम्पर्क किया तो परिवादी का मोबाईल नम्बर बंद आ रहा था जिस पर दिनांक 02.01.2024 को परिवादी श्री संजय कुमार से पुनः सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि पुलिस थाना पहाडा के हैड साहब कमलसिंह द्वारा पहाडा थाने में दिनांक 15.12.2023 को एक महिला को भगाने का मुकदमा दर्ज होने से उक्त मुकदमे में मुझे संदेह के आधार पर मुकदमे में नही फंसाने के नाम पर 50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। परिवादी ने बताया कि मै आज ब्यूरो चौकी उदयपुर पर उपस्थित नहीं हो सकता हूॅं क्योंकि वाहन चालको की हडताल होने से वाहन नहीं चल रहे है, मै ब्यूरो चौकी पर नहीं आ सकता। मै अपनी लिखित रिपोर्ट आप द्वारा ब्यूरो चौकी से भेजे गये कानि. को यही पर दे दूगा, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कानि. सुरेश के मोबाईल नम्बर नोट करवाते हुए नया गांव पहाडा पर मिलने हेतु निर्देशित किया। समय करीब 10.15 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो चौकी के कानि. श्री सुरेश को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री संजय कुमार के मोबाईल नम्बर 79760-13047 देते हुए। कानि. को ब्यूरो चौकी की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर उसमें नया मेमोरी कार्ड लगवाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिपोर्ट प्राप्त कर तत्पश्चात् मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु निर्देशित कर ब्यूरो चौकी से रूकसत किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 5.43 पी.एम. कानि. श्री सुरेश ने जरिये दूरभाश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "आपके निर्देशानुसार मैं ब्यूरो से डिजिटल टेप रिकॉर्डर अपने साथ लेकर रवाना हो समय करीब 1.30 पी.एम. पर नया गांव पहाडा पहूंच कर परिवादी श्री संजय कुमार से उसके मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया में कुछ देर में नया गांव पहाडा पर आपको पहुचकर कॉल दूगा। जिस पर कानि. श्री सुरेश नया गांव पहाडा पर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इंतजार में मुकिम रहा। समय करीब 3.52 पी.एम पर मेरे द्वारा पुनः परिवादी से सम्पर्क किया गया। परिवादी व दो अन्य व्यक्ति मुझसे मिले। मैने अपनो परिचय देते हुए परिवादी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपनो नाम संजय वडेरा व उसके साथ आये दो अन्य व्यक्ति का मेें से एक व्यक्ति का नाम श्री राजीव वडेरा जो मेरे भाई है तथा एक अन्य व्यक्ति प्रवीण कुमार जो मेरे जीजाजी है के रूप में करवाया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट भी मन् कानि. श्री सुरेश को देते हुए बताया कि आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. साहब मेरे से रिश्वत राशि की बात नही करेगे, वो मेरे भाई श्री राजीव वडेरा व मेरे जीजाजी प्रवीण से ही रिश्वत राशि की बातचीत करते है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को मन् कानि. द्वारा अपने पास सुरक्षित रखी जाकर ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समझाईश परिवादीगण को गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की जाकर समय करीब 4.02 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर परिवादी के भाई श्री राजीव वडेरा को सुपुर्द कर उसके साथ परिवादी के जीजाजी श्री प्रवीण कुमार को उनके निजी वाहन से पुलिस थाना पहाडा की ओर रवाना करते हुए उसके पीछे पीछे मै एवं परिवादी मेरे निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना पहाडा के पास पहुच सह परिवादीगण के इंतजार में मै व परिवादी मुकिम रहे। समय करीब 4.30 पी.एम. पर सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार हमारे पास आये और मुझको डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुआ बताया कि श्री कमलसिंह हैड साहब ने हमें आधे घण्टे बाद बुलाया है। जिस पर मैने डिजिटल टेप रिकॉर्डर को बन्दकर सुरक्षित अपने पास रखा। समय करीब 4.59 पी.एम. पर मैने पुनः डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सहपरिवादी श्री राजीव वडेरा को सुपुर्द करते हुए उनके साथ परिवादी के जीजाजी श्री प्रवीण कुमार को हैड साहब के कहे अनुसार पुलिस थाना पहाडा की तरफ रवाना करते हुए मै व परिवादी श्री संजय वडेरा अपनी-अपनी उपस्थित छुताते हुए पुलिस थाना पहाडा के आस पास ही मुकिम रहे। समय करीब 5.42 पी.एम. पर सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण हमारे पास आये और डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझको सुपुर्द किया जिसको मेरे द्वारा बन्द कर अपने आपस सुरक्षित रखा। सह परिवादीगण ने बताया कि हम हैड साहब श्री कमलसिंह से पुलिस थाना पहाडा के पास चाय की दूकान पर मिले तो उन्होने बताया कि मै

सजय कुमार को पुलिस थाना पहाडा में दिनांक 15.12.2023 को एक महिला को भगाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में संजय का नाम आ रहा है। आप संजय कुमार वडेरा को बचाना चाहते हो तो मुझे 50,000 रूपये देने पडेगे, नही ं तो मै संजय को इस मुकदमे में फसाकर जेल भिजवा दूगा। हमारे द्वारा हाथा जोडी करने पर 35,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए। हैड साहब द्वारा रिश्वत राशि कल दिनांक 03.01.2024 को लाने हेतु बताया है। उक्त वार्ता को मैने आप द्वारा दिये गये ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिस पर कानि. द्वारा श्रीमान् से परिवादी व सह परिवादीगण की वार्ता भी करवाई तो कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद परिवादी व सह परिवादीगणो द्वारा की गई। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी व सह परिवादीगण को रिश्वत राशि 35,000 रूपये की व्यवस्था करने हेतु हिदायत देते हुए मौके से रूकसत किया गया तथा कानि. सुरेश को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित हालात में लेकर ब्यूरो पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। जिस पर मै वहा से रवाना होकर ब्यूरो चौकी उदयपुर पर उपस्थित हो परिवादी श्री संजय कुमार वडेरा द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकॉर्डर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो उक्त रिपोर्ट में इस आशय कि प्रस्तुत की कि मेरा नाम संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल उम्र 30 वर्ष निवासी आमलिया तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर का रहने वाला हूॅ। दिनांक 26.12.2023 को मैं नाथद्वारा में मजदूरी का काम कर रहा था कि पुलिस थाना पहाडा उदयपुर से पुलिस हैड कास्टेबल कमल सिंह मेरे पास आऐ और दमकाया कि तेरे खिलाफ थाने में एक औरत को भगा कर ले जाने का मुकदमा दर्ज है। मेने कहा मै किसी औरत को भगाकर नहीं लाया हॅू। में तो यहा मजदूरी कर रहा हॅू। लेकिन उन्होने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे पकडकर ले गऐ और मुझे पुलिस थाना पहाडा में बन्द कर दिया जहॉ पर मुझे तीन दिन तक बन्द रखा तथा 29.12.2023 को मेरी एस.डी.एम. नया गॉव से जमानत हुई थी मुझे श्री कमल सिंह हैड कानि. मुकदमें में झूठा फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे है। मै गरीब और मजदूरी करने वाला आदमी हॅू। मै कमलसिंह हैड कानि. को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। मेरी कमल सिंह हैड कानि. से कोई रंजीस नहीं है, ना ही पैसे का यहा उधार लेन देन बकाया है । कृपया कानूनी कार्यवाही करे। उक्त अंकित रिपोर्ट के अवलोकन से मामला टे्प कार्यवाही का पाये जाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस निरीक्षक डां. सोनू शेखावत को निर्देशित किया गया तथा परिवादी द्वारा लिखित हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं ब्यूरो के समस्त जाप्ते को प्रातः 9.00 बजे कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 03-01-2024 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार परिवादी श्री संजय कुमार वडेरा की हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहन की आवश्कता होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये वाटसअप द्वारा श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय वन विभाग चेतक सर्कल उदयपुर को पत्र प्रेशित कर दो गवाहन को शीघ्र ब्यूरो चौकी उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 10.55 ए.एम. पर कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से दो गवाहान श्री चुन्नीलाल लाल मीणा व श्री अरूण कुमार मीणा उपस्थित ब्यूरो चौकी उदयपुर आए। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय दे दोनो गवाहन से उनका परिचय पुछा तो एक गवाहन ने अपना नाम चुन्नीलाल लाल मीणा पुत्र भग्गा मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी गांव बोबडी (माताजी) तहसील लसाडिया जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर होना बताया तथा दूसरे गवाहन ने अपना नाम श्री अरूण कुमार मीणा पुत्र भेरूलाल मीणा उम्र 28 वर्ष निवासी गांव पोगरा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर हाल कनिश्ठ सहायक, कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर होना बताया। परिवादी द्वारा पेशशुदा हस्तलिखित रिपोर्ट पढकर सुनाई गई तथा डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुनाया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुश्टि होना दोनो गवाहन द्वारा भी स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् दोनो गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो गवाहान द्वारा अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर उक्त गवाहान को ब्यूरो के द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत करा कार्यालय कक्ष में बिठाया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 11.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गुलाबसिंह हैड कानि. को कार्यालय में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुरक्षित अवस्था में अखबार में लपेटकर संभलाकर सरकारी वाहन टवेरा के डेक्स बोर्ड में रखवाई गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक अपने साथ ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय स्वतंत्र गवाहान श्री चुन्नीलाल मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अरूण कुमार मीणा कनिश्ठ सहायक, मय ब्यूरो जाब्ता श्री मुनीर मोहम्मर एएसआई, श्री पुश्कर हैड कानि, श्री गुलाबसिंह हैड कानि, श्री सुरेश कानि. श्री टीकाराम कानि. एवं श्री लक्षमण सिंह कनि. लिपिक मय सरकारी वाहन से तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटोप,आवयश्क संसाधनो के सरकारी वाहन से रवाना समय करीब 1.05 पी.एम. पर मौथली चौराये खेरवाडा से आगे रोड के एक साईड सुनसान जगह पहुच परिवादी व सह परिवादीगण के इंतजार में मुकिम रहे। समय करीब 1.55 पी.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री संजय कुमार वडेरा तथा

सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार उपस्थित मौथली चौराये खेरवाडा से आगे रोड के एक साईड सुनसान जगह पर आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते का परिचय देते हुए परिवादी व सह परिवादीगण से उनका परिचय पूछा तो परिवादी व सह परिवादी से अपना अपना सर्वश्री 1. श्री सजय कुमार वडेरा पुत्र श्री बाबूलाल वडेरा उम्र 35 वर्ष निवासी आमलिया पुलिस थाना फलासिया तहसील झाडोल जिला उदयपुर (परिवादी) 2. श्री राजीव वडेरा पुत्र श्री बाबूलाल वडेरा उम्र 30 वर्ष निवासी आमलिया पुलिस थाना फलासिया तहसील झाडोल जिला उदयपुर (सह परिवादी भाई) एवं श्री प्रवीण कुमार डामोर पुत्र श्री गोमा जी उम्र 32 वर्ष निवासी गांव व पोस्ट मगरा तहसील खेरवाडा पुलिस थाना बावलवाडा, जिला उदयपुर (सह परिवादी जीजाजी) होना बताया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से मजिद पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी कमलसिंह हैड साहब मुझसे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत नहीं करेगे बल्कि मेरे भाई श्री राजीव वडेरा व मेरे जीजाजी श्री प्रवीण कुमार से ही बातचीत करते है और उनसे ही रिश्वत राशि लेगे। परिवादी व सह परिवादीगण ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री कमल सिंह हैड साहब को दी जाने वाली रिश्वत राशि 35,000 रूपये की व्यवस्था करने हेतु बताया गया था किन्तु मेरे पास इतने रूपये की व्यवस्था नहीं हो पाएगी मै केवल 10,000 रूपये की ही व्यवस्था कर अपने साथ लाया हूॅ। तत्पश्चात् दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 02.01.2024 को पढकर सुनाई गई तो परिवादी द्वारा लिखित रिर्पोट में अंकित तथ्य शब्द ब शब्द सही होना एवं स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षरित होना बताया जिस पर परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर दोनो गवाहान व सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में दिनांक 02.01.2024 को सहपरिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार एवं आरोपी श्री कमलसिंह हेड साहब के मध्य पुलिस थाने पहाडा के कार्यालय कक्ष पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा, सहपरिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार एवं गवाहान की उपस्थिति में चलाकर सुनाई गई तो सहपरिवादी श्री राजीव वडेरा ने वार्ता में एक आवाज अपनी तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री कमलसिंह हेड साहब की होना बताया। गवाहान द्वारा भी रिश्वत मांग करने की पुश्ठि की गई।

तत्पश्चात् समय करीब 3.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कमलसिंह हैड साहब को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री सजयकुमार वडेरा से मांगने पर परिवादी नेे अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये। परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 से सरकारी वाहन टवेरा के डेक्स बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर सरकारी वाहन टवेरा की पिछली सीट पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के कहे अनुसार सह परिवादी श्री राजीव वडेरा की जामातलाशी स्वतंत्र गवाह श्री चुन्नीलाल मीणा से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 से सह परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बॉक्स मे रखे पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाकर एक गिलास में वाहन में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी व सह परिवादीगणो को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व सह परिवादीगणो तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा सह परिवादीगण से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 से एक तरफ खुले में फिकवाया गया तथा अखबार एवं पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया। श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 के हाथों को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 को सुपुर्द कर अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सह परिवादीगण को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। सह परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद सह परिवादी श्री राजीव वडेरा को अपना पहना हुआ जेकेट को उतारने का निर्धारित रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करे अथवा मौका मिलने पर अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक या श्री सुरेश कानि. के मोबाइल पर कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा सह परिवादीगण को मन् पुलिस निरीक्षक व श्री सुरेश कानि. के मोबाईल नम्बर दिये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी

हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सह परिवादीगण तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सह परिवादीगण को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गुलाबसिंह हैड कानि. को सुपुर्द कर जाप्ते की कमी होने से दौराने कार्यवाही घटना स्थल से दूर खडे रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 3.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार को उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना पहाडा की ओर आगे-आगे रवाना कर जाब्ता श्री सुरेश कुमार कानि व परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा को उसके द्वारा उपलब्ध करवायी गई अन्य मोटरसाईकिल से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता गवाहान के अपने अपने वाहनो से मौथली चौराये खेरवाडा से आगे रोड के एक साईड सुनसान जगह से रवाना हो पुलिस थाना पहाडा के लिये रवाना होकर समय करीब 04.00 पी.एम. पर पुलिस थाना पहाडा से कुछ दूरी पहले वाहन को रोक कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार को रोड की एक साईड रूकने का ईशारा किया जिस पर सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार उसकी मोटरसाईकिल एक साईड खडी कर मन् पुलिस निरीक्षक के वाहन के पास आया। जिस पर समय करीब 4.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सह परिवादीगण को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सह परिवादी श्री राजीव वडेरा को सुपुर्द कर लेन देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु सह परिवादीगण को उनकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना पहाडा की ओर रवाना किये एवं पिछे पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, श्री मुनीर मोहम्मद, श्री पुश्कर हैड कानि., व स्वतन्त्र गवाहन चुन्नीलाल मीणा, परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा सरकारी वाहन से पुलिस थाना पहाडा से विजयनगर जाने वाले रोड की तरफ तथा परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल पर उसको व श्री लक्ष्मण सिंह कनिश्ठ सहायकको पुलिस थाना पहाडा से छाणी रोड पर की साईड में निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडा करवाया एवं ब्यूरो जाप्ता श्री टीकाराम, श्री सुरेश जाट, श्री पुश्कर हैड कानि., श्री अरूण कुमार मीणा को पैदल-पैदल पुलिस थाना के आस पास सह परिवादीगण पर नजर रखकर निर्धारित ईशारे के मुकिम रहने हेतु हिदायतन रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता सह परिवादीगण के निर्धारित ईशारे के ईंतजार में पुलिस थाना पहाडा के आसपास ही अपनी अपनी उपस्थिति छुपाये हुए खडे थे कि समय करीब 5.40 पी.एम. पर सह परिवादीगण की स्वय मोटरसाईकिल के पीछे एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठकर आता हुआ नजर आया। उक्त व्यक्ति को देखकर परिवादी श्री सजय कुमार वडोरा ने बताया कि यही कमलसिंह हैड साहब है। जो मेरे भाई एवं जीजाजी के पीछे मोटरसाईकिल पर बैठकर पुलिस थाना पहाडा से विजयनगर रोड पर जा रहे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता उक्त मोटरसाईकिल के पीछे पीछे अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए रवाना हुए। कुछ दूरी पर पहुच कर सह परिवादीगण द्वारा मोटरसाईकिल को रोड के एक साईड में रोक कर उस पर सवार तीनो व्यक्ति नीचे उतर आपस में वार्तालाप करने लगे। समय करीब 5.45 पी.एम. पर सह परिवादी श्री राजीव वडेरा द्वारा पूर्व निर्धारित ईशारा अपना पहना हुआ जेकेट उतार कर किया। जिस पर हमरा जाब्ता द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के निर्धारित ईशारे से अवगत कराया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी मय हमराहियान अपने वाहनो से मोवडी खराडीवाडा इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना पहाडा के पास विजय नगर मेन रोड पर खडे सह परिवादीगण व आरोपी श्री आरोपी कमलसिंह हैड कानि. के पास पहुचे तो वाहन से उतरते हुए ब्यूरो के जाप्ते को देखकर आरोपी वहाँ से भागने लगा तथा भागते हुए खेत में पैर फिसलने से आरोपी के कधे पर हल्की चोट आ गई। जिस ब्यूरो जाप्ता द्वारा घेरा डालकर आरोपी का पीछा कर घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही पकडा गया। इसी दौरान सह परिवादी श्री राजीव वडेरा द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास रखा एवं उपस्थित परिवादी एवं सह परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कमलसिंह कितावत पुत्र श्री लालसिंह कितावत उम्र 36 निवासी गांव व पोस्ट पीपलादा, पुलिस थाना सदर डूंगरपुर हाल हैड कानि. 1163, पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. को सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार से ग्रहण की गई 10,000 रूपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट सामने की बाये जेब में रखना बताया। चुंकि घटना स्थल मुख्य सडक का होकर वाहनो की काफी आवा-जावी/भीडभाड होने से एवं अग्रिम कार्यवाही किया जाना वांछित होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री कमलसिह हैड कानि. का बाया हाथ श्री टीकाराम कानि. से एवं दाहिना हाथ श्री पुश्कर हैड कानि. से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन टवेरा में बिठाया गया एवं वक्त शाम का होने से घटना स्थल का नक्शा मौका सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार द्वारा बताये गये निशानदेही से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् यथा स्थिति घटना स्थल से रवाना हो पुलिस थाना पहाडा पहुचे। जहाँ पर ए.एस.आई. श्री सोमाराम जी उपस्थित मिले। जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मनत्व्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु

बताया गया तो उनके द्वारा एक कमरा अनुसंधान अधिकारी का उपलब्ध करवाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व सह परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. को सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोड सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी राणावाडा फला हितरी थाना पहाडा द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना पहाडा पर अपनी पत्नी श्रीमती जशोदा देवी उम्र 35 वर्ष जो किसी व्यक्ति के साथ भाग गई की पेश की जिस पर एफआईआर नम्बर 122/2023 धारा 366 आईपीसी दिनांक 15.12.2023 में दर्ज हो जॉच मेरे जिम्मे होने से मुझ हैड कानि. द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा पेश रिपोर्ट में परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा के मोबाईल नम्बर अंकित होने से उसको बुलाया गया था। मेरे द्वारा परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा, सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार से रिश्वत राशि की मांग नहीं की। जिस पर उपस्थित गवाहन के सामने ही खडे सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार ने आरोपी के तथ्यो का खडंन करते हुए बताया कि हैड साहब श्री कमलसिंह जी झूठ बोल रहे है, इन्होनें मेरे भाई श्री सजय कुमार वडेरा को झूठे मुकदमे मे नहीं फसाने की एवज् में 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग दिनांक 02.01.2024 को की थी, हमारे द्वारा विनती करने पर 35,000 रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु राजी हुए तथा 35,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर आज दिनांक 03.01.2024 को पुलिस थाना पहाडा पर बुलाया था। हमसे से 35,000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं होने से हम 10,000 रूपये की व्यवस्था करके आये तथा श्री कमलसिंह हैड साहब की मांग अनुसार पूरी राशि नहीं लाने पर उन्होने काफी आना कानी कर पूरी रकम देने का दबाव डाला लेकिन शेश राशि जल्दी देने के आश्वासन पर अभी कुछ समय पहले ही हम से मांग कर अपने दोनो हाथो से ग्रहण कर गिनकर अपने वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब में रखे तथा कहा कि यह तो 10,000 रूपये ही है बाकी कहा है, तो सह परिवादीगण द्वारा ने विनती की कि सर आज इतनी ही व्यवस्था हो पाई है बाकी 25,000 रूपये की व्यवस्था कर एक-दो दे देगे। उक्त दोनो वार्ता को हमारे द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः आरोपी को पूछा गया तो आरोपी कुछ नही बोला अपना सिर नीचे कर दिया। चुंकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बाये जेब में रखे गई थी। आरोपी के दोनो हाथो एवं वर्दी के पेन्ट के धोवन के घोल लिया जाना वांछित होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन टवेरा से टेªप बॉक्स श्री टीकाराम कानि से मंगवाया गया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री टीकाराम कानि से टेªप बॉक्स में रखे प्लास्टिक के दो नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें पुलिस थाना पहाडा के अनुसंधान अधिकारी के कक्ष में रखे प्लास्टिक के केम्पर से पीने का साफ पानी प्लास्टिक की दोनो पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो में भरवाया जाकर उसमें स्वतंत्र गवाह श्री टीकाराम कानि. से एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसको उपस्थितगणो ने स्वीकार किया। उक्त अपरिवर्तित घोल की एक गिलास में आरोपी श्री कमलसिंह हैडकानि के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कॉच की शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित कर श्री टीकाराम कानि से सीलचिट करवा चिट एवं कपडे पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार अपरिवर्तित घोल की दुसरी गिलास में आरोपी श्री कमल सिंह हैडकानि के बायेे हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कॉच की शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित कर श्री टीकाराम कानि से सीलचिट करवा चिट एवं कपडे पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री अरूण कुमार मीणा, कनिश्ठ सहायक से आरोपी की वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाये जेब की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की बाये जेब में 500-500 रूपये के बीस नोट कुल 10,000/- रूपये व आगे की जेब में पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज व आरोपी के पासपोर्ट साईज तीन फोटो मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु हुआ।

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामदशुदा उक्त 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये को कागज की चिट लगाकर सीलबन्द कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किये गयें। तत्पश्चात आरोपी श्री कमलसिंह के पहनी हुई वर्दी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना है जिस पर पुलिस थाना पहाडा के बंेरिक से लॉवर व शर्ट मंगवाया जाकर ससम्मान वर्दी पेन्ट व शर्ट खुलवाई जाकर लॉवर व शर्ट पहनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी की वर्दी की पेन्ट की सामने की बायी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त स्थान का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री टीकाराम कानि से टेªप बॉक्स में से प्लास्टिक का एक नया पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें पुलिस थाना पहाडा के अनुसंधान अधिकारी कक्ष में रखे प्लास्टिक के केम्पर से पीने का साफ पानी प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास में भरवाया जाकर उसमें टीकाराम कानि. से एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसको उपस्थितगणो ने स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि द्वारा उक्त रंगहीन घोल में आरोपी की वर्दी की सामने

की बायी को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कॉच के शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर श्री टीकाराम कानि से सीलचिट करवा चिट एवं कपडे पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही में प्रयुक्त डिस्पोजल गिलासो को जलाकर नष्ट किया। आरोपी श्री कमल सिंह हैड कानि. की वर्दी की पहनी हुई पेन्ट जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त पेन्ट को एक कपडे की थैली में रखकर सीलचिट करवा सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 08.15 पी.एम. पर परिवादी श्री संजय कुमार वडेरा से सम्बन्धित पुलिस थाना पहाडा पर दर्ज मुकदमे से सम्बन्धित पत्रावली श्री सोमाराम ए.एस.आई. से तलब की गई तो श्री सोमाराम ए.एस.आई. द्वारा प्रकरण संख्या 122/2023 अन्तर्गत धारा 366 आईपीसी दिनांक 15.12.2023 की मूल पत्रावली पेश की गई। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो श्री अमर सिंह पिता मोड सिंह गरासिया निवासी राडावाडा द्वारा दिनांक 15.12.2023 को पेश शुदा लिखित रिपोर्ट जिसमें श्री अमर सिंह द्वारा स्वयं की पत्नी श्रीमती जशोदा देवी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगा ले जाने की रिपोर्ट दी गई थी। उक्त रिपोर्ट में मोबाईल नम्बर 79760-13047 नम्बर पर उक्त महिला से अज्ञात व्यक्ति द्वारा वार्ता होने से उक्त नम्बर दिया गया था। प्रकरण पत्रावली में श्रीमती जशोदा देवी द्वारा कथन 161 जा.फौ. में स्वेच्छा से घर से बिना बताये जाना बताया है। उक्त पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर परिवादी श्री संजय कुमार वडेरा की महिला को भगाने में भूमिका नहीं पाई गई है। केवल परिवादी श्री संजय कुमार वडेरा के मोबाईल नम्बर 79760-13047 नम्बर पर प्रकरण के परिवादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट में श्रीमती जशोदा देवी से वार्ता होना अंकित किया गया है। उक्त पत्रावली की सत्यापित प्रतिलिपि एवं परिवादी संजय कुमार वडेरा के विरूद्व पुलिस थाना पहाडा में 107, 151 जा.फौ. के इस्तगासे नम्बर 116/2020 दिनांक 29.12.2020 की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया तो इस्तगासे में घटना तारीख 28.12.2023 को दर्ज है जिसके सम्बन्ध में श्री सोमाराम से पूछा गया तो उन्हाने बताया कि इस्तगासा वर्श व दिनांक का वर्श सहवन से अंकित हो गया है। उक्त रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति श्री सोमाराम ए.एस.आई. पुलिस थाना पहाडा से प्राप्त की जाकर प्राप्त शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय करीब 09.30 पी.एम. पर आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. के पुलिस थाना पहाडा के निवास स्थान बैरिंक की खाना तलाशी मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्तत्र गवाहन की उपस्थिति में ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार समय करीब 11.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 02.01.2024 को सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार एवं आरोपी श्री कमलसिंह हेड कानि के मध्य पुलिस थाना पहाडा के बाहर चाय की दुकान पर हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे सह परिवादीगण द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह परिवादी, सह परिवादीगण एवं आरोपी को सुनाई गई। जिस पर सह परिवादीगण एवं आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज होना ताईद किया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा श्री लक्ष्मण सिंह कनिश्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी व सह परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी श्री सुरेश कानि. से तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीडी कवर में रख कर कपडे की थैली में रखकर सीलचिट किया जाकर मार्क ''।'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी व सह परिवादीगण के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया।

तत्पश्चात् दिनांक 04-01-2024 को समय करीब 3.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 03.01.2024 को सह परिवादीगणश्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार एवं आरोपी श्री कमलसिंह हेड कानि के मध्य मोवडी खराडीवाडा इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना पहाडा के पास विजय नगर मेन रोड पर हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जिसे सह परिवादीगणद्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह परिवादी, सह परिवादीगण एवं आरोपी को सुनाई गई। जिस पर सह परिवादीगण एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना ताईद किया तथा अन्य दूसरी आवाज थानाधिकारी श्री अन्सार अहमद होना बताया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा श्री लक्ष्मण सिंह कनिश्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी व सह परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी श्री सुरेश कानि. से तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीडी कवर में रख कर कपडे की थैली में रखकर सीलचिट किया जाकर मार्क ''ठ'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी व सह परिवादीगण के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 3.30 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.01.2024 एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 03.01.2024 के दौरान ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग ब्लेक को मूल ही परिवादी, सह परिवादीगण एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत कवर में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मंे रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क ''ड '' अंकित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 4.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कमलसिह, हेड कानि को रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के रिकार्डर में

रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना देने एवं अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र एसपीएल 1-2 दिनांक 04.01.2024 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री कमलसिंह हेड कानि द्वारा अपनी आवाज का नमूना नही देने एवं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में बाद में पेश करने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 4.15 ए.एम. पर आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में संज्ञेय अपराध कारित किया गया। अतः आरोपी श्री कमलसिह कितावत हाल हेड कानि नम्बर 1163 पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित-2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार धारा 41 (क) जा.फो की पालना की जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी द्वारा बताये अनुसार उसके भाई श्री देवीसिंह को जरिये वाटसअप कॉल पर दी गई।

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना पहाडा मंल पहुच आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. 1163 द्वारा सह परिवादीगण से रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण की गई। उक्त टेªप कार्यवाही की समस्त लिखा पढी पुलिस थाना पहाडा पर की गई जिस बाबत् पुलिस थाना पहाडा के रोजनामचा आम में रपट इन्द्राज करवाई जाकर रोजनामचा आम की प्रति प्राप्त की गई। इसके बाद समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, मय बरामद शुदा रिश्वत राशि व मालखाना आईटम, टेªप बाक्स, लेपटोप, प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के पुलिस थाना पहाडा से ब्यूरो चौकी उदयपुर के लिए रवाना हुई तथा परिवादी श्री सजय कुमार व सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व प्रवीण कुमार को मौके से रूकसत किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री कमलसिंह हेड कानि, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, मय बरामद शुदा रिश्वत राशि व मालखाना आईटम, टेªप बाक्स, लेपटोप, प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के ब्यूरो चौकी उदयपुर पहुच हैड कानि. श्री गुलाबसिंह को उक्त टेªप कार्यवाही का जप्तशुदा मालखाना संभलाया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहन को बाद कार्यवाही रूकसत किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री कमलसिंह हेड कानि. को ब्यूरो चौकी के जाप्ते की निगरानी में चौकी पर रखा गया। तत्पश्चात् आरोपी को जरिये रिमाण्ड माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर क्रमांक 01 पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री कमलसिंह कितावत हैड कानि. को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी श्री कमलसिंह कितावत हैड कानि. को न्यायालय से जेसी वारंट प्राप्त कर केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री कमलसिंह कितावत पुत्र श्री लालसिंह कितावत उम्र 36 निवासी गांव व पोस्ट पीपलादा, पुलिस थाना सदर डूंगरपुर हाल हैड कानि. 1163, पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री सजय कुमार वडेरा के विरूद्व पुलिस थाना पहाडा पर दर्ज मुकदमे नहीं फसाने की एवज् में सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा व श्री प्रवीण कुमार से 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 02.01.2024 को दौराने मांग सत्यापन आरोपी द्वारा सह परिवादीगण 50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 35,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर अपनी सहमति दी। जिस पर दिनांक 03.01.2024 को आरोपी श्री कमलसिंह हैड कानि. द्वारा सह परिवादीगण श्री राजीव वडेरा से 10,000 रूपये अवैध पारितोषण के रूप में अपने दोनो हाथो से ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। साथ ही उल्लेखनिय है कि उक्त मामले में थानाधिकारी श्री अन्सार अहमद पुलिस थाना पहाडा की भूमिका संद्विग्ध प्रतीत होने से विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट होगी।
अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

डां. सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ0 सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है।रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में आरोपी श्री कमल सिंह कितावत पुत्र श्रीलाल सिंह कितावत, हैड़ कानि. 1163, पुलिस थाना पहाड़ा जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त के सम्बंध में रोजनामचा में रपट संख्या 74 दिनांक 05.01.2024 अंकित की गई है।

एसडी विशनाराम, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः.05-08 दिनांक 05.01.2024

प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1 विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।।
2 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3 पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर।
4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

एसडी पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/01/2024 18:30:37

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)